न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम: महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्या: 201 / 2022
निर्णय दिनांक: 08.02.2024

उनवान

1. नवीता गोयल पत्नी कृष्ण कुमार गोयल, जाति महाजन, निवासी बी–10, तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलोनी, जयपुर।

वादिया

बनाम

1. हरेकृष्णा होटल्स प्रा0 लि0 जरिये डायरेक्टर ओमप्रकाश मोदी, पता ए–1, गणपति एन्क्लेव, अजमेर रोड, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

पत्रावली पेश हुयी। वकील वादिया अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादिया अधिवक्ता ने वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया कि वादिया द्वारा उक्त वाद वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया, वादिया उक्त भूमि की सहखातेदार है एवं उक्त भूमि का विभाजन करवाने की अधिकारी है। बहस वादिया अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर वादिया का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 19.05.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों में पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांक भू.अ. / डिक्री / 2023 / 843 दिनांक 05.02. 2024 संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है। वकील वादिया ने कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। बहस वादिया अधिवक्ता सुनी गई। वादिया अधिवक्ता द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति दिये जाने से वादिया का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद में अन्तिम डिक्री पारित किया जाना [illegible] प्रतीत होता है।

अतः वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 418 / 376 रकबा [illegible] है0, तथा खसरा नम्बर 419 / 375 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम रामसिंहपुरा [illegible] धौलाई, पटवार हल्का कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Sin
Date: 2024.02.22 17:33:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज					
क्र.स.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारों का नाम व पिता का नाम
1	419 / 375	0.13			नवीता गोयल पत्नि कृष्ण कुमार गोयल हि. 2 / 13 जाति महाजन बी 10, तुलसीराम की बगीची, जनता कॉलोनी, जयपुर, हरे कृष्णा होटल्स प्रा.लि. हि. 11 / 13 जरिये डायरेक्टर ओमप्रकाश मोदी ए–1, गणपति एन्क्लेव, अजमेर रोड, जयपुर
	किता–01	0.13			
	418 / 376	0.26			नवीता गोयल पत्नि कृष्ण कुमार गोयल हि. 9 / 13 जाति महाजन बी 10, तुलसीराम की बगीची, जनता कॉलोनी, जयपुर, हरे कृष्णा होटल्स प्रा.लि. हि. 4 / 13 जरिये डायरेक्टर ओमप्रकाश मोदी ए–1, गणपति एन्क्लेव, अजमेर रोड, जयपुर
	किता–01	0.26			

प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज				
क्र.स.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारों का नाम व पिता का नाम	किस्म
1	419 / 375 मि. 418 / 376 मि.	0.02 0.18	नवीता गोयल पत्नि कृष्ण कुमार गोयल जाति महाजन बी 10, तुलसीराम की बगीची, जनता कॉलोनी, जयपुर	
	किता–02	0.20		
2	419 / 375 मि. 418 / 376 मि.	0.11 0.08	हरे कृष्णा होटल्स प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर ओमप्रकाश मोदी ए–1, गणपति एन्क्लेव, अजमेर रोड, जयपुर	
	किता–02	0.19		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावें। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 को खुले [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:33:12 IST
Reason: SelfAttested

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर।